क्रम-संख्या–100

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

**भाग–2, खण्ड (क)**

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

**लखनऊ, सोमवार, 1 जुलाई, 2024**

**आषाढ़ 10, 1946 शक सम्वत्**

**उत्तर प्रदेश शासन**

**विधायी अनुभाग–1**

———————

संख्या 215 / 79-वि-1–2024-2-क-7-2024

लखनऊ, 1 जुलाई, 2024

———————

अधिसूचना

**विविध**

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदया द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश आपराधिक विधि संशोधन अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2024) जिससे **गृह (पुलिस) अनुभाग–9** प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

### उत्तर प्रदेश आपराधिक विधि संशोधन अध्यादेश, 2024

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2024)

[भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया–कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1986), उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 1971), उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 2020), उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1983 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31, सन् 1983), उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम 27, सन् 2020) और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 2021) का अग्रतर संशोधन करने के लिए

## अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है,

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं।

### अध्याय–एक

### प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

1–(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश आपराधिक विधि सशोधन अध्यादेश, 2024 कहा जाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह दिनांक 01 जुलाई, 2024 से प्रवृत्त होगा।

### अध्याय–दो

### उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1986 की धारा 2 का संशोधन

2–(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 (क) में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्:–

''संहिता'' का तात्पर्य भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 से है,

(ख) खंड (ख) के उपखंड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रख दिया जाएगा, अर्थातः–

''भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय छः या अध्याय सत्रह या धारा 351, 352, 353, 354, 355, 79 के अधीन दंडनीय अपराध।''

(ग) खंड (ख) के उपखंड (नौ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रख दिया जाएगा, अर्थात्:–

''भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 173 के अधीन दंडनीय अपराध या मतदाता को उसके निर्वाचन अधिकारों का प्रयोग करने से शारीरिक रूप से रोककर विधिपूर्वक आयोजित किए जा रहे किसी सार्वजनिक निर्वाचन को रोकना या बाधा डालना, या'';

(घ) खंड (घ) में, शब्द ''''लोक सेवक''''' का तात्पर्य भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में यथा परिभाषित लोक सेवक से है'' के स्थान पर, शब्द ''''लोक सेवक''''' का तात्पर्य भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2 (28) में यथा परिभाषित लोक सेवक से है'' रख दिये जाएंगे;

(ङ) खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाएगा, अर्थात्:–

''इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 या भारतीय न्याय संहिता, 2023 में परिभाषित शब्दों और वाक्यांशों के वही अर्थ होंगे जो ऐसी संहिताओं में उनके लिये क्रमशः समनुदेशित हैं।''

धारा 4 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 4 में,–

(क) प्रारम्भिक पैरा में, शब्द, अंक और प्रतीक ''संहिता या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872'' के स्थान पर, शब्द, अंक और प्रतीक ''संहिता या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023'' रख दिये जाएंगे;

(ख) खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) में, शब्द और अंक ''संहिता की धारा 107 या धारा 108 या धारा 109 या धारा 110'' के स्थान पर, शब्द और अंक ''संहिता की धारा 126 या धारा 127 या धारा 128 या धारा 129'' रख दिये जाएंगे।

धारा 7 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में शब्द ''संहिता'' के स्थान पर शब्द ''संहिता'' रख दिया जाएगा।

धारा 9 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) में, शब्द, अंक और अक्षर ''संहिता की धारा 2 का खण्ड (प) और संहिता के उपबन्ध तदनुसार प्रभावी होंगे'' के स्थान पर, शब्द, अंक और अक्षर ''संहिता की धारा 2(1) (फ) और संहिता के उपबन्ध तदनुसार प्रभावी होंगे'' रख दिये जायेंगे।

धारा 10 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 10 मे,—

(क) (एक) उपधारा (2) में शब्द और अंक ''संहिता की धारा 260 की उपधारा (1) या धारा 262'' के स्थान पर शब्द और अंक ''संहिता की धारा 283 की उपधारा (1) या धारा 285'' रख दिये जाएंगे;

(दो) शब्द और अंक ''संहिता की धारा 263 से 265'' के स्थान पर शब्द और अंक ''संहिता की धारा 286 से 288'' रख दिये जाएंगे;

(तीन) प्रथम परंतुक में शब्द ''संहिता'' के स्थान पर शब्द ''संहिता'' रख दिया जायेगा।

(ख) उपधारा (3) में, शब्द और अंक ''संहिता की धारा 308 के प्रयोजनों के लिए, उसकी धारा 307 के अधीन निविदत्त किया गया समझा जाएगा'' के स्थान पर, शब्द और अंक ''संहिता की धारा 345 के प्रयोजनों के लिए, उसकी धारा 344 के अधीन निविदत्त किया गया समझा जाएगा।'' रख दिये जाएंगे।

(ग) उपधारा (4) में शब्द ''संहिता'' के स्थान पर शब्द ''संहिता'' रख दिया जाएगा।

(घ) उपधारा (5) में, शब्द, अंक और प्रतीक ''धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन न्यायालय के साथ इस प्रकार व्यवहार किया जाएगा मानो ऐसा मामला संहिता की धारा 406 के अधीन ऐसे विशेष न्यायालय को अंतरित कर दिया गया हो।'' के स्थान पर, शब्द, अंक और प्रतीक ''धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन न्यायालय के साथ इस प्रकार व्यवहार किया जाएगा मानो ऐसा मामला संहिता की धारा 446 के अधीन ऐसे विशेष न्यायालय को अंतरित कर दिया गया हो।'' रख दिये जाएंगे।

धारा 11 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) में शब्द ''संहिता'' के स्थान पर शब्द ''संहिता'' रख दिया जाएगा।

धारा 13 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 13 में शब्द ''संहिता'' के स्थान पर शब्द ''संहिता'' रख दिया जाएगा।

धारा 14 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 14 में,—

(क) उपधारा (2) में शब्द ''संहिता'' के स्थान पर शब्द ''संहिता'' रख दिया जाएगा;

(ख) उपधारा (3) में शब्द ''संहिता'' के स्थान पर शब्द ''संहिता'' रख दिया जायेगा।

धारा 16 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (5) में, शब्द, अंक और प्रतीक ''भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी'' के स्थान पर, शब्द, अंक और प्रतीक ''भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी'' रख दिये जायेंगे।

धारा 18 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 18 में, शब्द, अंक और प्रतीक ''संहिता के अध्याय उनतीस के उपबंध'' के स्थान पर, शब्द, अंक और प्रतीक ''संहिता के अध्याय इकतीस के उपबंध'' रख दिये जाएंगे।

धारा 19 का संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 19 में,—

(क) उपधारा (1) में, शब्द ''संहिता'' के स्थान पर, शब्द ''संहिता'' रख दिया जाएगा;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द और अंक ''संहिता की धारा 167'' के स्थान पर, शब्द और अंक ''संहिता की धारा 187'' रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (3) में, शब्द, अंक और प्रतीक ''संहिता की धारा 366, 367, 368 और 371'' के स्थान पर, शब्द, अंक और प्रतीक ''संहिता की धारा 407, 408, 409 और 412'' रख दिये जायेंगे;

(घ) उपधारा (4) में, शब्द ''संहिता'' के स्थान पर, शब्द ''संहिता'' रख दिया जायेगा;

(ङ) उपधारा (5) में, शब्द ''संहिता'' के स्थान पर, शब्द ''संहिता'' रख दिया जायेगा।

धारा 21 का संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 21 में, शब्द, अंक और प्रतीक ''भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872'' के स्थान पर, शब्द, अंक और प्रतीक ''भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 ''रख दिये जाएंगे।

धारा 24 का संशोधन

14—मूल अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:—

''(3) भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के प्रवृत्त होने के दिनांक से पूर्व लंबित कोई अपील, आवेदन, परीक्षण, जांच या अन्वेषण, ऐसे संशोधनों से ठीक पहले प्रवृत्त इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, जैसा भी मामला हो, निपटाया जाएगा, जारी रखा जाएगा या किया जाएगा, मानो ये संशोधन प्रवृत्त ही नहीं हुए हों।''

## अध्याय—तीन

## उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम,1970 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 1971 की धारा 2 का संशोधन

15—उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970, जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (एक) में, शब्द, अंक, प्रतीक और अक्षर ''भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153 या धारा 153—ख या धारा 294 या उक्त संहिता के अध्याय पंद्रह, अध्याय सोलह, अध्याय सत्रह या अध्याय बाईस के अधीन दण्डनीय अपराध,'' के स्थान पर शब्द, अंक, प्रतीक और अक्षर ''भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 192 या धारा 197 या धारा 296 या भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय सोलह, अध्याय छः, अध्याय सत्रह या धारा 351, 352, 353, 354, 355, 79 के अधीन दण्डनीय अपराध,'' रख दिये जायेंगे।

धारा 7 का संशोधन

16—मूल अधिनियम की धारा 7 में, शब्द, अंक और प्रतीक ''दण्ड प्रक्रिया, 1973'' के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक ''भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023'' रख दिये जाएंगे;

(क) उपधारा (2) में,—

(एक) खण्ड (क) में शब्द, अंक और प्रतीक ''उक्त संहिता की धारा 71 के उपबन्ध तथा उक्त संहिता की धारा 70 से 85 और 87 से 89 के उपबन्ध'' के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक ''भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 73 के उपबन्ध तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 72 से 88 और 90 से 92 के उपबन्ध'' रख दिये जायेंगे।

(दो) खण्ड (ख) में शब्द, अंक और प्रतीक ''उक्त संहिता की धारा 119 से 121, 123 और 124 के उपबन्ध'' के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक ''भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 138 से 140, 142 और 143 के उपबन्ध'' रख दिये जायेंगे।

(तीन) खंड (ग) में, शब्द और अंक ''उक्त संहिता की धारा 445 से 447'' के स्थान पर, शब्द, अंक और प्रतीक ''भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 490 से 493'' रख दिये जायेंगे।

धारा 8 का संशोधन

17—मूल अधिनियम की धारा 8 में शब्द, अंक और प्रतीक, ''भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872'' के स्थान पर, शब्द, अंक और प्रतीक, ''भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023''रख दिये जायेंगे।

नई धारा 17 का बढ़ाया जाना

18—मूल अधिनियम में धारा 16 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:—

''17. भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और ''बचत भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के प्रवृत्त होने के दिनांक से पूर्व लंबित किसी अपील, आवेदन, परीक्षण, जांच या अन्वेषण का निपटारा, जारी रखा जाना या किया जाना, जैसा भी मामला हो, ऐसे संशोधनों से ठीक पहले प्रवृत्त इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा, मानो यह संशोधन प्रवृत्त ही नहीं हुए हों।''

## अध्याय– चार

### उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम, 2020 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2020 की धारा 2 का संशोधन

19–उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अधिनियम, 2020, जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,–

(क) खण्ड (घ) में शब्द और अंक ''भारतीय दण्ड संहिता की धारा 425'' के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक ''भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 324(1)'' रख दिए जायेंगे।

(ख) खंड (ङ) में, शब्द और अंक ''भारतीय दंड संहिता की धारा 11'' के स्थान पर, शब्द, अंक और प्रतीक ''भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(26)'' रख दिये जायेंगे।

धारा 8 का संशोधन

20–मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (7) में, शब्द, अंक और प्रतीक ''दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय छब्बीस'' के स्थान पर, शब्द, अंक और प्रतीक ''भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 215 और अध्याय अट्ठाईस'' रख दिये जायेंगे।

धारा 29 का संशोधन

21–मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाएगा, अर्थातः–

''(3) ऐसे अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही, जो भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के लागू होने की तारीख से पूर्व लंबित हो, ऐसे संशोधनों के ठीक पहले लागू इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, जैसी भी स्थिति हो, निपटाई जाएगी, जारी रखी जाएगी या की जाएगी, मानो ये संशोधन लागू ही नहीं हुए हों।''

## अध्याय–पाँच

### उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1983 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 1983 की धारा 2 का संशोधन

22–उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1983, जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 के खण्ड (छ) में शब्द, अंक और प्रतीक ''दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973'' के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक ''भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023'' रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

23–मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में, शब्द और अंक ''भारतीय दंड संहिता की धारा 21'' के स्थान पर, शब्द, अंक और प्रतीक ''भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2 (28)'' रख दिये जायेंगे।

धारा 5 का संशोधन

24–मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में, शब्द, अंक और प्रतीक ''दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 9 का स्पष्टीकरण'' के स्थान पर, शब्द, अंक और प्रतीक ''भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 8 का स्पष्टीकरण'' रख दिये जायेंगे।

धारा 6 का संशोधन

25–मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) में, शब्द, अंक और प्रतीक ''दण्ड प्रक्रिया सहिता, 1973'' के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक ''भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023'' रख दिये जायेंगे।

धारा 7 का संशोधन

26–मूल अधिनियम की धारा 7 में,–

(क) (एक) उपधारा (2) में, शब्द, अंक और प्रतीक ''दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973'' के स्थान पर, शब्द, अंक और प्रतीक ''भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023'' रख दिये जायेंगे;

(दो) उपधारा (2) के परन्तुक में, शब्द और अंक ''उक्त संहिता की धारा 207 के अधीन और मामले का विचारण इस प्रकार करना मानो मामला ऐसी संहिता के उपबंधों के अधीन विचारण के लिए सत्र न्यायालय को सौंपा गया हो'' के स्थान पर, शब्द, अंक और प्रतीक ''भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 230 के अधीन और मामले का विचारण इस प्रकार करना मानो मामला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के उपबंधों के अधीन विचारण के लिए सत्र न्यायालय को सौंपा गया हो'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (3) में, शब्द, अंक और प्रतीक ''भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप नहीं हैं, विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों पर और उक्त संहिता के उपबंधों के प्रयोजनों के लिए लागू होंगे'' के स्थान पर, शब्द, अंक और प्रतीक ''भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप नहीं हैं, विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों पर और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के उपबंधों के प्रयोजनों के लिए लागू होंगे'' रख दिये जाएंगे।

(ग) उपधारा (4) में, शब्द, अंक और प्रतीक ''उक्त संहिता की धारा 308, धारा 307 के अधीन निविदत्त समझी गयी हो'' के स्थान पर, शब्द, अंक और प्रतीक ''भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 345, धारा 344 के अधीन निविदत्त समझी गयी हो'' रख दिये जायेंगे।

धारा 8 का संशोधन

27—मूल अधिनियम की धारा 8 में, शब्द, अंक और प्रतीक ''दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973'' के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक ''भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023'' रख दिये जायेंगे।

धारा 9 का संशोधन

28—मूल अधिनियम की धारा 9 में, शब्द, अंक और प्रतीक ''दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 406, 407 और 408 के उपबन्धों'' के स्थान पर, शब्द, अंक और प्रतीक ''भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 446, 447 और 448 के उपबन्ध'' रख दिये जायेंगे।

धारा 10 का संशोधन

29—मूल अधिनियम की धारा 10 में, शब्द, अंक और प्रतीक ''दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973'' के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक ''भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023'' रख दिये जायेंगे।

धारा 11 का संशोधन

30—मूल अधिनियम की धारा 11 में,—

(क) उपधारा (1) में, शब्द, अंक, अक्षर और प्रतीक ''दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 की उपधारा (2) के परन्तुक के खण्ड (क) के उपबन्ध'' के स्थान पर, शब्द, अंक और प्रतीक ''भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 187 की उपधारा (2) के उपबन्ध'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द, अंक, अक्षर और प्रतीक ''दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 की उपधारा (2) के परन्तुक के खण्ड (ख) के उपबन्ध'' के स्थान पर, शब्द, अंक और प्रतीक ''भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 187 की उपधारा (2) के उपबन्ध'' रख दिये जायेंगे।

धारा 12 का संशोधन

31—मूल अधिनियम की धारा 12 के खण्ड (क) में, शब्द ''यदि ऐसा अपराध भारतीय दण्ड संहिता के अधीन मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय है उसी दण्ड से दण्डित किया जायेगा जो इस अपराध के लिये उक्त संहिता में उपबन्धित है'' के स्थान पर शब्द, ''यदि ऐसा अपराध भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अधीन मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय है, उसी दण्ड से दण्डित किया जायेगा जो उस अपराध के लिये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में उपबन्धित है'' रख दिये जाएंगे।

धारा 13 का संशोधन

32—मूल अधिनियम की धारा 13 में, शब्द, अंक और प्रतीक ''दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 354 की उपधारा (3)'' के स्थान पर, शब्द, अंक और प्रतीक ''भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 393 की उपधारा 3'' रख दिये जायेंगे।

धारा 14 का संशोधन

33—मूल अधिनियम की धारा 14 में, शब्द ''भारतीय दंड सहिता'' के स्थान पर, शब्द ''भारतीय न्याय संहिता, 2023'' रख दिये जायेंगे।

धारा 17 का संशोधन

34—मूल अधिनियम की धारा 17 में,—

(क) उपधारा (2) में शब्द, अंक और प्रतीक ''दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973'' के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक ''भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023'' रख दिये जाएंगे।

(ख) उपधारा (3) में शब्द ''दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973'' के स्थान पर शब्द ''भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023'' रख दिये जाएंगे।

धारा 19 का संशोधन

35—मूल अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) में, शब्द ''भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872'' के स्थान पर शब्द ''भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023'' रख दिये जाएंगे।

धारा 25 का संशोधन

36—मूल अधिनियम की धारा 25 में, शब्द, अंक और प्रतीक ''दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का अध्याय 19'' के स्थान पर, शब्द, अंक और प्रतीक ''भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023'' रख दिये जाएंगे।

धारा 31 में संशोधन

37—मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थातः—

''(3) ऐसा दिनांक जिस दिनांक को भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 प्रवृत्त हो, के पूर्व कोई अपील, आवेदन, विचारण, जाँच या अन्वेषण लम्बित हो, को ऐसे संशोधन के ठीक पूर्व, यथा प्रवृत्त, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार यथास्थिति, ऐसे निपटाया जायेगा, चालू रखा जायेगा या किया जायेगा मानो यह संशोधन प्रवृत्त न हुआ हो।''

अनुसूची का संशोधन

38—मूल अधिनियम की अनुसूची में, शब्द, अंक तथा अक्षर और प्रतीक ''भारतीय दंड संहिता की धारा 216—क, 302, 303, 304, 307, 308, 325, 326, 327, 329, 331, 333, 363, 364, 365, 368, 369, 386, 387, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402 तथा 511 के अंतर्गत दंडनीय अपराध'' के स्थान पर, शब्द, अंक तथा प्रतीक ''भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 254, 103, 104, 105, 109, 110, 117 (2), 118 (2), 119 (1), 119 (2), 120 (2), 121 (2), 137 (2), 140 (1), 140 (3), 142, 97, 308 (5), 308 (4), 309 (4), 309 (5), 309 (6), 310 (2), 310 (3), 311, 312, 310 (4), 310 (6), 310 (5), के अधीन दंडनीय अपराध'' रख दिये जायेंगे ।

## अध्याय—छः

## उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम, 2020 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2020 की धारा 2 का संशोधन

39—उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम, 2020, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, में धारा 2 की उपधारा (2) में, शब्द, अंक और प्रतीक ''भारतीय दण्ड संहिता, 1860 और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973'' के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक ''भारतीय न्याय संहिता, 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023'' रख दिये जायेंगे ।

धारा 11 का संशोधन

40—मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) में, शब्द, अंक और प्रतीक ''दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973'' के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक ''भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023'' रख दिये जायेंगे।

धारा 19 का संशोधन

41—मूल अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थातः—

''(3) ऐसा दिनांक जिस दिनांक को भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 प्रवृत्त हो, के पूर्व कोई अपील, आवेदन, विचारण, जाँच या अन्वेषण लम्बित हो, को ऐसे संशोधन के ठीक पूर्व यथा प्रवृत्त, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, यथास्थिति, ऐसे निपटाया जायेगा, चालू रखा जायेगा या किया जायेगा मानो यह संशोधन प्रवृत्त न हुआ हो।''

## अध्याय–सात

## उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2021 की धारा 7 का संशोधन

42–उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, में धारा 7 में, शब्द, अंक और प्रतीक ''दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973'' के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक ''भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023'' रख दिये जाएंगे।

धारा 15 का संशोधन

43–मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थातः–

''(3) ऐसा दिनांक जिस दिनांक को भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 प्रवृत्त हो, के पूर्व कोई अपील, आवेदन, विचारण, जाँच या अन्वेषण लम्बित हो, को ऐसे संशोधन के ठीक पूर्व यथा प्रवृत्त, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, यथास्थिति, ऐसे निपटाया जायेगा, चालू रखा जायेगा या किया जायेगा मानो यह संशोधन प्रवृत्त न हुआ हो।''

आनंदीबेन पटेल,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

———

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

———

No. 215(2)/LXXIX-V-1–2024-2(ka)-7-2024
*Dated Lucknow, July* 1, 2024

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Apradhik Vidhi Sanshodhan Adhyadesh, 2024 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 7 of 2024) promulgated by the Governor. The Grih (Police) Anubhag-9 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH APRADHIK VIDHI SANSHODHAN ADHYADESH, 2024
(U.P. Ordinance no. 7 OF 2024)
*[Promulgated by the Governor in the Seventy fifth Year of the Republic of India]*
AN
ORDINANCE

*further to amend the Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986 (U.P. Act no. 7 of 1986), the Uttar Pradesh Control of Goondas Act, 1970 (U.P. Act no. 8 of 1971), the Uttar Pradesh Recovery of Damages to Public And Private Property Act, 2020 (U.P. Act no. 11 of 2020), the Uttar Pradesh Dacoity Affected Areas Act, 1983 (U.P. Act no. 31 of 1983), the Uttar Pradesh Special Security Force Act, 2020 (U.P. Act 27 of 2020) and the Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful conversion of Religion Act, 2021 (U.P. Act no. 3 of 2021).*

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance.

## CHAPTER-I
## PRELIMINARY

Short title, extent and commencement

1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Apradhik Vidhi Sanshodhan Adhyadesh, 2024.

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force from 01 day of July, 2024.

## CHAPTER- II
## AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH GANGSTERS AND ANTI-SOCIAL ACTIVITIES (PREVENTION) ACT, 1986

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 7 of 1986

2. (1) In section 2 (a) of the Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986, hereinafter in this chapter referred to as the principal Act, -

**(a)** *for* clause (a) the following clause shall be *substituted,* namely:-

"Sanhita" means the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023;

**(b)** *for* sub-clause (i) of clause (b), the following sub-clause shall be *substituted*, namely:-

"Offences punishable under Chapter VI, or Chapter XVII, or Section 351, 352, 353, 354, 355, 79 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.";

**(c)** *for* sub-clause (ix) of clause (b), the following sub-clause shall be *substituted*, namely:-

"Offences punishable under section 173 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 or in preventing or obstructing any public election being lawfully held, by physically preventing the voter from exercising his electoral rights, or";

**(d)** in clause (d) for the words "public servant" means a public servant as defined in section 21 of the Indian Penal Code ", the words " public servant" means a public servant as defined in section 2(28) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023" shall be *substituted*;

**(e)** *for* clause (f) the following clause shall be *substituted*, namely:-

"words and phrases used but not defined in this Act and defined in Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, or the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 shall have the meanings respectively assigned to them in such Sanhita.";

Amendment of section 4

3. In section 4 of the principal Act,—

(a) in opening paragraph, *for* the words, figures and symbol "Code or the Indian Evidence Act, 1872" the words, figures and symbol "Sanhita or the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023" shall be *substituted;*

(b) in sub-clause (i) of clause (a), *for* the words and figures"section 107 or section 108 or section 109 or section 110 of the Code ", the words and figures "section 126 or section 127 or section 128 or section 129 of the Sanhita" shall be *substituted*.

Amendment of section 7

4. In sub-section (1) of section 7 of the principal Act, *for* the word "Code", the word "Sanhita" shall be *substituted*.

Amendment of section 9

5. In sub-section (3) of section 9 of the principal Act, *for* the words, figures and letters " clause (u) of section 2 of the Code, and the provisions of the Code shall have effect accordingly ", the words, figures and letters " section 2(1) (v) of the Sanhita and the provisions of the Sanhita shall have effect accordingly " shall be *substituted*.

Amendment of section 10

6. In section 10 of the principal Act,—

(a) (i) in sub-section (2) *for* the words and figures " sub-section (1) of section 260 or section 262 of the Code" the words and figures "sub-section (1) of section 283 or section 285 of the Sanhita" shall be *substituted*;

(ii) *for* the words and figures"of sections 263 to 265 of the Code" the words and figures "sections 286 to 288 of the Sanhita" shall be *substituted*;

(iii) in the first proviso **for** the word "Code" the word "Sanhita" shall be *substituted.*

(b) in sub-section (3), *for* the words and figures "for the purposes of section 308 of the Code, be deemed to have been tendered under section 307 thereof" the words and figures "for the purposes of section 345 of the Sanhita be deemed to have been tendered under section 344 thereof." shall be *substituted*.

(c) in sub-section (4), *for* the word "Code", the word "Sanhita" shall be *substituted.*

(d) in sub-section (5), *for* the words, figures and symbols "Court under sub-section (3) of section 7 shall be dealt with as if such case had been transferred under section 406 of the Code to such Special Court." the words, figures and symbols "under sub-section (3) of section 7 shall be dealt with as if such case had been transferred under section 446 of the Sanhita to such Special Court." shall be *substituted.*

Amendment of section 11

7. In sub-section (1) of section 11 of the principal Act, *for* the word "Code", the word "Sanhita" shall be *substituted.*

Amendment of section 13

8. In section 13 of the principal Act, *for* the word "Code", the word "Sanhita" shall be *substituted*.

Amendment of section 14

9. In section 14 of the principal Act,-

(a) in sub-section (2) *for* the word "Code", the word "Sanhita" shall be *substituted*;

(b) in sub-section (3), *for* the word "Code" the word "Sanhita" shall be *substituted*.

Amendment of section 16

10. In sub-section (5) of section 16 of the principal Act,–

*for* the words, figures and symbols, "anything to the contrary contained in the Indian Evidence Act, 1872 notwithstanding." the words, figures and symbols, "anything to the contrary contained in the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 notwithstanding." shall be *substituted*.

Amendment of section 18

11. In section 18 of the principal Act, *for* the words, figures and symbols "The provisions of Chapter XXIX of the Code shall", the words, figures and symbols "The provisions of Chapter XXXI of the Sanhita" shall be *substituted.*

Amendment of section 19

12. In section 19 of the principal Act,-

(a) in sub-section (1), *for* the word "Code", the word "Sanhita" shall be *substituted;*

(b) in sub-section (2), *for* the words and figures "Section 167 of the Code" the words and figures "Section 187 of the Sanhita" shall be *substituted*;

(c) in sub-section (3), for the words, figures and symbols "Sections 366, 367, 368 and 371 of the Code" the words, figures and symbols "Sections 407, 408, 409 and 412 of the Sanhita" shall be *substituted*;

(d) in sub-section (4), *for* the word "Code", the word "Sanhita" shall be *substituted*;

(e) in sub-section (5), *for* the word "Code", the word "Sanhita" shall be *substituted*.

Amendment of section 21

13. In section 21 of the principal Act, *for* the words, figures and symbol "the Indian Evidence Act, 1872", the words, figures and symbol "the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023" shall be *substituted*.

Amendment of section 24

14. *After* sub-section (2) of section 24 of the principal Act, the following sub-section shall be *inserted*, namely:-

"(3) Any appeal, application, trial, enquiry or investigation pending before the date on which the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita,2023 and Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 comes into force, shall be disposed of, continued held or made, as the case may be, in accordance with the provisions of this Act, as inforce immediately before such amendments, as if these amendments had not come into force."

## CHAPTER- III

## AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH CONTROL OF GOONDAS ACT, 1970

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 8 of 1971

15. In sub-clause (i) of clause (b) of section 2 of the Uttar Pradesh Control of Goondas Act, 1970 hereinafter in this chapter referred to as the principal Act,–

*for* the words, figures, symbols and letters "an offences punishable under section 153 or section 153-B or section 294 of the Indian Penal Code or Chapter XV, Chapter XVI, Chapter XVII or Chapter XXII of the said Code ;", the words, figures, symbols and letters "an offences punishable under section 192 or section 197 or section 296 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 or Chapter XVI, Chapter VI, Chapter XVII or Section 351, 352, 353, 354, 355, 79 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023;" shall be *substituted*.

Amendment of section 7

16. In section 7 of the principal Act,-

(a) in clause (b) of sub-section (1), *for* the words, figures and symbol "Criminal Procedure, 1973", the words, figures and symbol "Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita,2023" shall be *substituted*;

**(b)** in sub-section (2),-

(i) in clause (a) *for* the words, figures and symbol "provision of section 71 of the said Code, and the provisions of section 70 to 85 and 87 to 89 of the said Code", the words, figures and symbols "provision of section 73 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and the provision of section 72 to 88 and 90 to 92 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 shall be *substituted*".

(ii) in clause (b) *for* the words, figures and symbol, "provisions of section 119 to 121, 123 and 124 of the said Code", the words, figures and symbols " the provisions of section 138 to 140, 142 and 143 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" shall be *substituted;*

(iii) in clause ( c ) *for* the words and figures, "provisions of section 445 to 447 of the said Code" the words and figures "section 490 to 493 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023." shall be *substituted*.

Amendment of section 8

17. In section 8 of the Principal Act for the words, figures and symbol, "Indian Evidence Act,1872", the words, figures and symbol "Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023" shall be *substituted*.

Insertion of new section 17

18. In the principal Act *after* section 16, the following new section shall be *inserted*, namely:-

"Saving

"17. Any appeal, application, trial, enquiry or investigation pending before the date on which the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 comes into force, shall be disposed of, continued held or made, as the case may be, in accordance with the provisions of this Act, as inforce immediately before such amendments, as if these amendments had not come into force."

## CHAPTER- IV

## AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH RECOVERY OF DAMAGES TO PUBLIC AND PRIVATE PROPERTY ACT, 2020

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 11 of 2020

19. In section 2 of the Uttar Pradesh Recovery of Damages to Public and Private Property Act, 2020 hereinafter in this chapter referred to as the principal Act,

(a) in clause (d) *for* the words and figures "section 425 of Indian Penal Code", the words and figures and symbols" section 324 (1) of Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023" shall be *substituted*.

(b) in clause (e) *for* the words and figures "section 11 of Indian Penal Code", the words, figures and symbols " section 2 (26) of Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023" shall be *substituted.*

Amendment of section 8

20. In sub-section 7 of section 8 of the principal Act, *for* the words, figures and symbols " of section 195 and Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)", the words, figures and symbols "section 215 and Chapter XXVIII of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" shall be *substituted*.

Amendment of section 29

21. *After* sub-section (2) of section 29 of the principal Act, the following sub-section shall be *inserted*, namely:-

"(3) Any proceeding under such Act pending before the date on which the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita,2023 and Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 comes into force, shall be disposed of, continued held or made, as the case may be, in accordance with the provisions of this Act, as inforce immediately before such amendments, as if these amendments had not come into force."

## CHAPTER-V

## AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH DACOITY AFFECTED AREAS ACT, 1983

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 31 of 1983

22. in the Uttar Pradesh Dacoity Affected Areas Act, 1983 hereinafter in this chapter referred to as the principal Act, in clause (g) of section 2 *for* the words, figures and symbol "Code of Criminal Procedure, 1973", the words, figures and symbol "Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" shall be *substituted.*

Amendment of section 4

23. In sub-section (1) of section 4 of the principal Act, *for* the words and figures "section 21 of the Indian Penal Code", the words, figures and symbols "section 2 (28) of Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023" shall be *substituted.*

Amendment of section 5

24. In section 5 of the principal Act, in sub-section (2), in the Explanation, *for* the words, figures and synbols " Explanation to section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973", the words, figures and symbols " Explanation to section 8 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" shall be *substituted*.

Amendment of section 6

25. In sub-section (1) of section 6 of the principal Act, *for* the words, figures and symbol "Code of Criminal Procedure, 1973", the words, figures and symbol "Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" shall be *substituted.*

Amendment of section 7

26. In section 7 of the the principal Act,-

(a) (i) in sub-section (2) *for* the words, figures and symbol"Code of Criminal Procedure, 1973", the words, figures and symbol "Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" shall be *substituted;*

(ii) in the proviso of sub-section (2) *for* the words and figures " under section 207 of the said code and proceed to try the case as if the case had been committed to Court of sessions for trial under the provision of such Code", the words, figures and symbols "under section 230 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and proceed to try the case as if the case had been committed to Court of sessions for trial under the provision of Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 " shall be *substituted*;

(b) in sub-section (3) *for* the words, figures and symbols "Indian Evidence Act, 1872 and the Code of Criminal Procedure, 1973 shall in so far as they are not in consistent with the provison of this Act, apply to the proceedings before a Special Court and for the purposes of the provisions of the said Code", the words, figures and symbols "Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 and the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita,2023 shall in so far as they are not in consistent with the provison of this Act, apply to the proceedings before a Special Court and for the purposes of the provisions of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" shall be *substituted*.

(c) in sub-section (4) *for* the words, figures and symbol "section 308 of the said Code, be deemed to have been tendered under section 307",the words, figures and symbol "section 345 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 be deemed to have been tendered under section 344" shall be *substituted.*

Amendment of section 8

27. In section 8 of the principal Act, for the words, figures and symbol "Code of Criminal Procedure, 1973", the words, figures and symbol "Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" shall be *substituted*.

Amendment of section 9

28. In section 9 of the principal Act, for the words, figures and symbols "The provisions of sections 406, 407 and 408 of the Code of Criminal Procedure, 1973", the words, figures and symbols "The provisions of sections 446, 447 and 448 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" shall be *substituted.*

Amendment of section 10

29. In section 10 of the principal Act, *for* the words, figures and symbol "Code of Criminal Procedure, 1973", the words, figures and symbol "Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita,2023" shall be *substituted*.

Amendment of section 11

30. In section 11 of the principal Act,

(a) in sub-section (1), *for* the words, figures, letters and symbol "The provision of clause (a) of the proviso to sub-section (2) of section 167 of the Code of Criminal Procedure, 1973", the words, figures and symbols "The provision of sub-section (2) of section 187 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" shall be *substituted*;

(b) in sub-section (2), *for* the words, figures, letter and symbol "The provisions of clause (b) of the proviso to sub-section (2) of section 167 of the Code of Criminal Procedure, 1973", the words, figures and symbols "The provisions of sub-section (2) of section 187 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" shall be *substituted*.

Amendment of section 12

31. In clause (a) of section 12 the principal Act, *for* the words "Indian Penal Code be punished with the punishment provided for the offence in the said Code", the words "Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 be punished with the punishment provided for the offence in the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" shall be *substituted*.

Amendment of section 13

32. In section 13 of the principal Act, for the words, figures and symbols "sub-section (3) of section 354 of the Code of Criminal Procedure, 1973", the words, figures and symbols "sub-section (3) of section 393 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" shall be *substituted*.

Amendment of section 14

33. In section 14 of the principal Act, *for* the words "Indian Penal Code", the words "Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023" shall be *substituted.*

Amendment of section 17

34. In section 17 of the principal Act,–

(a) in sub-section (2) *for* the words figures and symbols "Code of Criminal Procedure, 1973", the words, figures and symbols "the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" shall be *substituted.*

(b) in sub-section (3) *for* the words, figures and symbols "Code of Criminal Procedure, 1973" the words, figures and symbols "the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" shall be *substituted*.

Amendment of section 19

35. In sub-section (4) of section 19 of the principal Act, *for* the words, figures and symbols "Indian Evidence Act, 1872", the words, figures and symbols "the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023" shall be *substituted*.

Amendment of section 25

36. In section 25 of the principal Act, *for* the words, figures and symbols "Chapter XXIX of the Code of Criminal Procedure, 1973",the words, figures and symbols "Chapter XXXI of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" shall be *substituted*.

Amendment of section 31

37. *After* sub-section (2) of the section 31 of the principal Act the following sub-section shall be *inserted*, namely:-

"(3) Any appeal, application, trial, enquiry or investigation pending before the date on which the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 comes into force, shall be disposed of, continued held or made, as the case may be, in accordance with the provisions of this Act, as inforce immediately before such amendments, as if these amendments had not come into force."

Amendment of the schedule

38. In the Schedule of the principal Act, *for* the words, figures and letter and symbols "Offences punishable under sections 216-A, 302, 303, 304, 307, 308, 325, 326, 327, 329, 331, 333, 363, 364, 365, 368, 369, 386, 387, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402 and 511 of Indian Penal Code", the words, figures and symbols "Offences punishable under sections 254, 103, 104, 105, 109, 110, 117(2), 118(2), 119(1), 119(2), 120(2), 121(2), 137(2), 140(1), 140(3), 142, 97, 308(5), 308(4), 309(4), 309(5), 309(6), 310(2), 310(3), 311, 312, 310(4), 310(6), 310(5), and 62 of Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023" shall be *substituted*.

## CHAPTER-VI

## AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH SPECIAL SECURITY FORCE ACT, 2020

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 27 of 2020

39. In the Uttar Pradesh Special Security Force Act, 2020 hereinafter in this chapter referred to as the principal Act, in sub-section (2) of section 2, *for* the words, figures and symbols "Indian Penal Code, 1860 and the Code of Criminal Procedure, 1973", the words, figures and symbols "the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 and the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" shall be *substituted*.

Amendment of section 11

40. In sub-section (2) of section 11 of the principal Act, *for* the words, figures and symbol "Code of Criminal Procedure, 1973", the words, figures and symbol "the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" shall be *substituted*.

Amendment of section 19

41. *After* sub-section (2) of section 19 of the principal Act, the following sub-section shall be *inserted*, namely:-

"(3) Any appeal, application, trial, enquiry or investigation pending before the date on which the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 comes into force, shall be disposed of, continued held or made, as the case may be, in accordance with the provisions of this Act, as inforce immediately before such amendments, as if these amendments had not come into force."

## CHAPTER -VII

## AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH PROHIBITION OF UNLAWFUL CONVERSION OF RELIGION ACT, 2021

Amendment of section 7 of U.P. Act no. 3 of 2021

42. In the Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful conversion of Religion Act, 2021 hereinafter in this chapter referred to as the principal Act, in section 7, *for* the words, figures and symbol "Code of Criminal Procedure, 1973", the words, figures and symbol "Bharatiya Nagarik Suraksha Adhiniyam, 2023" shall be *substituted*.

Amendment of section 15

43. *After* sub-section (2) of section 15 of the principal Act, the following sub-section shall be *inserted*, namely:-

"(3) Any appeal, application, trial, enquiry or investigation pending before the date on which the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 comes into force, shall be disposed of, continued held or made, as the case may be, in accordance with the provisions of this Act, as inforce immediately before such amendments, as if these amendments had not come into force."

ANANDIBEN PATEL,
*Governor,*
*Uttar Pradesh.*

———

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
*Pramukh Sachiv.*

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 100 राजपत्र—2024—(311)—599 प्रतियां—(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 3 सा0 विधायी—2024—(312)—300 प्रतियां—(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
100 RPH ( Crimnal ) (Adhyadesh folder) 2024 data 8e